

181

क,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की 13 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

लखनऊ : दिनांक : 12 मार्च, 2018

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4345/48/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 05 फरवरी, 2018 एवं पत्र संख्या-4344/48/10/छ:/विविध/2017-18, दिनांक 05 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर खीरी की न0पा0प0, घोहम्मदी, लखीमपुर एवं पलिया की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 13 परियोजनाओं हेतु कुल रू0 493.65 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(39)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

क्रमशः.....2

श्री. मा. प्र. का. प्र. अ. अ. अ.

1644
22/3/18

4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य/योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयुक्त प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

16. स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आगणनों में संशोधन सूझा/झूठा द्वारा सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-902/दस-2018, दिनांक 20 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय

21/3/18

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव

संख्या-106/2018/269(1)/69-1-18, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूझा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	लखीमपुर खीरी	न0पा0परि0, मोहम्मदी	वार्ड नं0 02 बाजारगंज उत्तरी पूर्वी (आदर्श नगर कालोनी) में मकान मुस्तकीम से पहले विनोद के मकान के आगे तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.02	12.00
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 01 शंकरपुर छावनी में हरवंश आरा मशीन के बगल से रामेश्वर व शंकरलाल के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	82.73	38.00
3	तदैव	न0पा0परि, पलियाकलां	वार्ड सं0 08 मो0 इन्दिरा नगर में निघासन रोड से रिकल पत्रकार के घर तक, अमरिक के मकान से सोनू थारू व प्रमोद महाजन के मकान से अनिल के मकान तक, त्रिलोकनाथ के मकान से लखन व लक्ष्मन लेखपाल वाली गली व सरदार जी महंगापुर वाली रोड तक, कैलाश के मकान से राजकुमार व सालिक के मकान से राम कुमार के मकान से राजेन्द्र के मकान होते हुये सालिक के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	53.56	15.00
4	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 02 मो0 सिंगहिया (गंगानगर) नगर में फिक्कू लाल के मकान से शारद के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.90	10.00
5	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 04 के मो0 टेहरा में रामआसरे के मकान से सुरेश के मकान तक, रामआसरे के मकान से सुरेन्द्र एल0आई0सी0 तक, लक्ष्मी सटरिंग वाले से सोनू के मकान तक, कल्लू यादव के मकान से बालकराम के मकान होते हुये छोटे के मकान से मेन रोड तक, लक्ष्मी टुक बाड़ी मेकर से कुलवन्त के मकान तक व राजेन्द्र होली चौराहा होते हुये शर्मा जी के घर तक, गया प्रसाद के मकान से कुलदीप के मकान तक, अनिल के मकान से रामनरेश के मकान तक, मानू के मकान से गया प्रसाद के मकान तक व सरजू मोहित के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	92.80	25.00
6	तदैव	न0पा0परि, लखीमपुर-खीरी	वार्ड सं0 05 के मो0 शिवकालोनी में एल0आर0पी0 मार्ग से निर्मल वर्मा के मकान होते हुये सिंचाई विभाग कालोनी दीवार तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.90	8.00

7	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 15 के मो0 स्वरूप नगर में कुंज बिहारी वर्मा के मकान से दिनेश धोबी के मकान तक, वीरेन्द्र प्रताप भार्गव के मकान से बन्धूराम राना के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.12	12.00
8	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 के मो0 ईदगाह (शिवकालोनी) में प्रदीप के मकान से शहिद के मकान तक वाया गोलू कश्यप के मकान से दिलीप के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.94	5.00
9	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 के मो0 शिवकालोनी में डा0 डी0एन0 वर्मा के मकान से अरुण पाण्डे के मकान तक वाया दयाशंकर के मकान से अनुज के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	21.34	5.00
10	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 के मो0 शिवकालोनी में अमित के मकान से दिनेश चन्द्र के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.68	6.00
11	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 के मो0 शिवकालोनी में रामप्रकाश के मकान से आकश वर्मा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.82	5.00
12	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 20 के मो0 नौरंगाबाद में मस्तरिया कार्यालय से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.18	5.00
13	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 20 के मो0 नौरंगाबाद में वाल्मीकि आवास योजना के मुख्य मार्ग से योजना के आवास सं0-40 तक इंटरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.66	4.00
योग				493.65	150.00

(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।

<http://shasana.nic.in>